>

Title: Need to include 'Govari' caste in the Scheduled Caste list and revise the SC & ST and Backward classes list in Madhya Pradesh.

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा देश के अनेक राज्यों में पिछड़े वर्गों की जो सूचियां बनी हैं, उसमें अनेक वि वसंगतियां हैं। केवट, धीमर, मछुआरे तथा गोवारा गौवारी जातियां अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आनी चाहिए। इसके लिए कई प्रांतों में अनेक बार आंदोलन भी हुए। महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ उसमें १०० लोगों की जानें गई थीं। इसी तरह भोपाल संभाग में धोबी जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है जबकि मध्य प्र ादेश तथा प्रदेश के शेष संभागों में उसको पिछड़ी जाति के रूप में ट्रीट किया जाता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का ग्रेडेशन किया गया है, उस पर पुनर्विवेचना करने की आवश्यकता है। जो विसंगतियां हैं, उसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा धीमर, केवट और मछुआरे जाति का रहन-सहन और खान-पान है, वह अनुसूचित जन जाति की भांति ही है। उसी तरह गोड गोवारी और गोवरा गोवारी जाति का रहन-सहन अनुसूचित जन जाति की भांति ही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसे अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में लाया जाये तथा धोबी जाति को मध्य प्रदेश तथा वहां के अन्य जिलों में अनुसूचित जाति में जोड़ा जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a tight schedule. We have a heavy agenda today. Therefore, the House will have to forgo the lunch-hour from one to two o'clock today. We will have to dispense with it. Is it the sense of the House? Otherwise, we cannot finish any agenda item.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.